

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2021—पौष 2, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग  
(मानव अधिकार प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-4-1-2017-एक-मा.अ.प्र.— मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, "मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 4 में,—

- (1) उपनियम (1) में खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द "पन्द्रह दिन" के स्थान पर, शब्द "तीस दिन" स्थापित किए जाएं.
- (2) उपनियम (2) में, अंक तथा शब्द "240 दिन" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "300 दिन" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मधु नाहर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-4-1-2017-एक-मा.अ.प्र.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1-2017-एक-माअप्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मधु नाहर, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd December 2021

No.F-4-1-2017-I-H.R.C.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 41 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (No. 10 of 1994), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Human Rights Commission, Chairman and Members, (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1995, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules—

1. In rule 4,—

- (1) In sub-rule (1), in clause (i), for the words “fifteen days”, the words “thirty days” shall be substituted.
- (2) In sub-rule (2), for the figure and word “240 days”, the figure and word “300 days” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MADHU NAHAR, Dy. Secy.